[2019] 15 एस. सी. आर 273

क.

डॉ. (प्रमुख) मीता सहाय बनाम.

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. (2019 की सिविल अपील संख्या 9482) 17 दिसंबर, 2019

[दीपाक गुप्ता और सूर्या कान्ट**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानूनः

बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2013-आर.2(क), 5 और 6 (iii)-चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन-राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा-यह अनिवार्य करते हुए कि 'कार्य अनुभव' के लिए अंक देने के लिए केवल राज्य सरकार के अस्पतालों में कार्य अनुभव पर विचार किया जाना चाहिए-सैन्य अस्पताल में अपीलार्थी के कार्य अनुभव पर विचार नहीं किया गया-विज्ञापन में इस तरह के खंड को चुनौती देने वाली रिट याचिका मनमाना और आर. आर. के विपरीत है।5 और 6 (iii)-रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था-रिट अपील को भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःनियम 5 और 6 (iii) को शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को लागू करके नहीं समझा जा सकता है-'सरकारी अस्पताल' अभिव्यक्ति का अर्थ 'सरकार' की परिभाषा को एस में आयात करके नहीं किया जा सकता है।2(क)-नियमों के निर्माण के पीछे का उद्देश्य राज्य में अस्पतालों की अनूठी चुनौती को पहचानना और गैर-निजी अस्पतालों में काम करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करना था-राज्य सरकार और केंद्र सरकार या नगर पालिकाओं/पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित अस्पतालों के बीच भेदभाव करने का कोई भी प्रयास संवैधानिक शासन के मूल्यों को प्रभावित करने के लिए बाध्य है-इसलिए, आर.5 और 6 (iii) का अर्थ राज्य सरकार या उसके उपकरणों द्वारा संचालित किसी भी अस्पताल के साथ-साथ केंद्र सरकार, नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थानों या राज्य के क्षेत्र के भीतर अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संचालित किसी अन्य गैर-निजी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा प्राप्त अनुभव को शामिल करना है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14।

ग

डी.

ई.

च

जी.

रोकनाः

चयन प्रक्रिया के लिए चुनौती-असफल होने के बाद, इस तरह की प्रक्रिया से गुजरना-चाहे रद्द किया गया हो-आयोजितःसिद्धांत

एच.

किसी उम्मीदवार को इसमें विफल होने के बाद चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से रोकता है-हालाँकि, इस सिद्धांत को अलग किया जाता है क्योंकि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत होकर केवल निर्धारित प्रक्रिया को स्वीकार करता है और इसमें अवैधता नहीं है-यदि चुनौती वैधानिक नियमों के गलत निर्माण और उससे उत्पन्न होने वाले भेदभावपूर्ण परिणामों का

आरोप लगाती है, तो इसे केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी उम्मीदवार ने इसमें भाग लिया है-इसके अलावा, जब तक कि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तब तक प्रावधानों की अवैधता या अपमान पर हमला करने का अधिकार नहीं हो सकता है।

क़ानूनों की व्याख्याः

ग

वैधानिक प्रावधान का निर्माण-आयोजितःपहले कदम के रूप में न्यायालयों को प्रावधान के पाठ की व्याख्या करनी चाहिए और इसका शाब्दिक रूप से निर्माण करना चाहिए-व्याख्या का यह साधन केवल तभी लागू किया जा सकता है जब अधिनियम का पाठ केवल एक ही अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील हो-जहां पाठ के अर्थ में अस्पष्टता है, अदालतों को ऐसी कमी को दूर करने के परिणामों पर भी उचित ध्यान देना चाहिए-जब दो प्रशंसनीय व्याख्याएं हैं, तो संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

डी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** रोक का सिद्धांत एक उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में विफल होने के बाद उसे चुनौती देने से रोकता है।इस सिद्धांत का अंतर्निहित उद्देश्य उम्मीदवारों को विचार में एक और प्रयास करने से रोकना है**,** और एक ऐसे गतिरोध से बचना है जिसमें प्रत्येक असंतुष्ट उम्मीदवार**,** चयन में विफल होने के बाद**,** दूसरा मौका पाने की उम्मीद में इसे चुनौती देता है।**[**पैरा **17] [287-**एफ**; 288-**बी**-**सी**]**

ई.

च

1.2 हालाँकि**,** इस सिद्धांत को अलग किया जाता है क्योंकि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत होकर केवल निर्धारित प्रक्रिया को स्वीकार करता है न कि इसमें अवैधता को।ऐसी स्थिति में जहां एक उम्मीदवार वैधानिक नियमों के गलत निर्माण और उससे उत्पन्न होने वाले भेदभावपूर्ण परिणामों का आरोप लगाता है**,** उसे केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक उम्मीदवार ने इसमें भाग लिया है।संवैधानिक योजना पवित्र है और किसी भी तरह से इसका उल्लंघन अस्वीकार्य है।वास्तव में**,** एक उम्मीदवार को संविधान के प्रावधानों की लाइलाज अवैधता या अपमान पर हमला करने का अधिकार नहीं हो सकता है**,** जब तक कि वह चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है।**[**पैरा **18] [288-**सी**-**डी**]** ए

जी.

एच.

275

डॉ. (प्रमुख) मीता सहाय बनाम बिहार और ओआरएस का राज्य।

1.3 अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया को सही ढंग से चुनौती नहीं दी है**,** लेकिन योग्यता निर्धारण के हिस्से के रूप में 'कार्य अनुभव' की उत्तरदाताओं की व्याख्या के खिलाफ अपने दावे को सीमित कर दिया है।चूँकि किसी क़ानून या नियम की व्याख्या न्यायालयों का अनन्य क्षेत्र है**,** और ऐसे मानदंडों को चित्रित करने में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश को देखते हुए**,** अपीलार्थी की चुनौती को सीमा पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **20] [289-**ए**-**बी**]**

मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य **(2010) 12** एससीसी

576 – पर भरोसा किया।

2.1 यह वैधानिक व्याख्या की एक स्थिर तोप है कि पहले कदम के रूप में**,** न्यायालयों को प्रावधान के पाठ की व्याख्या करनी चाहिए और इसका शाब्दिक रूप से निर्माण करना चाहिए।कानून के प्रावधानों को उनके मूल व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसके शब्दों को एक सामान्य पाठ्य अर्थ दिया जा सके।हालांकि**,** व्याख्या के इस उपकरण को केवल उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां अधिनियम का पाठ केवल एक अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील है।फिर भी**,** ऐसी स्थिति में जहां पाठ के अर्थ में अस्पष्टता है**,** न्यायालयों को ली गई व्याख्या के परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए।**[**पैरा **21] [289-**सी**-**डी**]**

ग

डी.

नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता **(2005) 2** एससीसी **271:**

ई.

[2004] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 1141-**पर निर्भर।

2.2 यह न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि वे पाठ की व्याख्या इस तरह से करें जिससे कठिनाई**,** असुविधा**,** अन्याय**,** बेतुकेपन या विसंगति के किसी भी तत्व को समाप्त किया जा सके।एक कानून को अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रणाली में कोई भ्रम या टकराव पैदा नहीं करना चाहिए।यदि इस तरह के कानून के पाठ का सामान्य अर्थ प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के लिए अनुकूल नहीं है**,** तो ऐसी कमी को दूर करने के लिए इसकी व्याख्या तदनुसार की जानी चाहिए।**[**पैरा **22] [289-**ई**]**

च

मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1995) 3 एस. सी. सी. 486:[1995] 1 एस. सी. आर. 908-निर्भर।

जी.

जी**.** पी**.** सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत **(14** वीं**)**

एडन**., 2016)** पीपी। **145-170-**संदर्भित।

2.3 इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञापन जैसी कार्यकारी कार्रवाइयां न तो दायरे का विस्तार कर सकती हैं और न ही सीमित कर सकती हैं।

एच.

क.

कानूनों का उद्देश्य।इसलिए नियमों में 'सरकारी अस्पताल' वाक्यांश की व्याख्या पर विचार करना आवश्यक है।**[**पैरा **23] [289-**एफ**]**

2.4 बिहार स्वास्थ्य सेवा **(**नियुक्ति और सेवा शर्तें**)** नियम **2013** का नियम **2** एक परिभाषित प्रावधान है और 'सरकार' को एक संज्ञा के रूप में परिभाषित करता है।हालाँकि**,** यह आवश्यक रूप से उन उदाहरणों को नियंत्रित नहीं करता है जहाँ शब्द का उपयोग दूसरे रूप में किया गया है।नियम **5** के तहत**,** ऑपरेटिव वाक्यांश **"**कोई भी सरकारी अस्पताल**"** है।यहाँ**,** 'सरकार' कुछ संस्थाओं द्वारा संचालित लोगों को बाहर करने के लिए 'अस्पताल' संज्ञा को प्रतिबंधित रूप से परिभाषित कर रही है।इस प्रकार**,** 'सरकारी अस्पताल' के हिस्से के रूप में 'सरकार' एक संज्ञा सहायक है और इसका उपयोग एक विशेषण के रूप में किया गया है।किसी संज्ञा का उसके विशेषण रूप में इस तरह का उपयोग उसके चरित्र को पूरी तरह से बदल देता है और उसके संज्ञा रूप के अर्थ को आयात करना मूर्खतापूर्ण होगा।यह विशेष रूप से सच है कि कैसे नियम **2** के प्रारंभिक भाग में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि इसके तहत निर्धारित परिभाषाओं को तब तक संदर्भित किया जाएगा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो।इसलिए 'सरकारी अस्पताल' वाक्यांश को अन्य गैर**-**निजी अस्पतालों को बाहर करने के लिए नहीं माना जा सकता है जो अन्यथा विशेष रूप से सरकारों की सहायता और सहायता से चलाए जाते हैं।इसके अतिरिक्त सामान्य उपयोग में अंतर को देखते हुए जहां 'सरकारी अस्पताल' सभी गैर**-**निजी अस्पतालों को संदर्भित करता है न कि किसी

विशेष सरकार द्वारा स्थापित अस्पतालों को, नियम **5** और **6 (iii)** नियम **2 (**ए**)** से बाध्य नहीं होंगे।**[**पैरा **24] [290-**सी**-**एफ**]**

ग

डी.

ई.

नवीनचंद्र मफतलाल बनाम सी**.** आई**.** टी**., [1955] 1** एस**.** सी**.** आर **829 -**

पर भरोसा किया।

च

एफसीसी बनाम एटी एंड टी इंक**. 562** यू**.** एस**. 397 (2011)-**संदर्भित।**2.5** नियम **5** में 'कोई भी' शब्द की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है।यह कार्य अनुभव अर्जित करने के लिए पात्र अस्पतालों को व्यापक अर्थ प्रदान करने के लिए एक विधायी इरादे का संकेत देता है।नियम **2 (**ए**)** की प्रतिबंधात्मक परिभाषा का आयात करने से एक ही अंतर्निहित संज्ञा पर विस्तृत और प्रतिबंधात्मक दोनों विशेषणों को लागू करने में एक विसंगत स्थिति पैदा होगी।नतीजतन, न्यायालय वाक्यांश की एक विस्तृत व्याख्या को अपनाने के लिए इच्छुक है, और नियम **2 (**ए**)** पर भार नहीं डालता है।**[**पैरा **25] [290-**जी**; 291-**ए**]** ए

जी.

एच.

277

डॉ. (प्रमुख) मीता सहाय बनाम बिहार और ओआरएस का राज्य।

2.6 इसके अलावा, उत्तरदाताओं की व्याख्या को अपनाने से अनिश्चितता बढ़ेगी और व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा होंगी।जब नियम **2 (**ए**)** को 'सरकारी अस्पताल' पर लागू किया जाता है तो इस बारे में पर्याप्त अस्पष्टता पैदा होती है कि क्या सरकार के उपकरणों द्वारा संचालित अस्पताल, जो सख्ती से बिहार सरकार के स्वामित्व में नहीं हैं, उन्हें नियम **5** में शामिल किया जाएगा या नहीं।इस तरह के मुद्दे किसी भी चयन प्रक्रिया में बार-बार उठना तय है।यह देखते हुए कि इस तरह के प्रश्नों का कोई सरल उत्तर कैसे नहीं है, सरकार द्वारा अपनाई गई कठोर व्याख्या केवल प्रणाली में टकराव का कारण बनेगी और व्याख्यात्मक अराजकता का कारण बनेगी जो सार्वजनिक रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण अधिकार को कमजोर करेगी।**[**पैरा **26] [291-**बी**-**डी**]**

ग

2.7 इसके अलावा, यदि एक ऐसे विकल्प का सामना करना पड़ता है जिसमें केवल कुछ लोग पात्र होंगे बनाम एक काफी बड़ा समूह, तो बाद वाले को आवेदकों के विविध पूल के लिए अपनाया जाना चाहिए।यह योग्यता को बढ़ावा देगा, बेहतर डॉक्टर लाएगा और जनता को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करने की संवैधानिक योजना को आगे बढ़ाएगा।इस प्रकार, वर्तमान मामले में नियमों के प्रावधानों को शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को लागू करके समझा या समझाया नहीं जा सकता है। **[**पैरा **27] [291-**ई**]**

डी.

2.8 इसलिए, नियमों के प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सहारा लेना आवश्यक है, इसके उद्देश्यों के आलोक में।अन्यथा संविधान के अनुच्छेद **309** के प्रारंभिक भाग के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियम अन्य सभी संवैधानिक प्रावधानों के

अनुरूप होने चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से भाग **III** शामिल है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती से निपटने के लिए, यह स्पष्ट है कि नियमों का उद्देश्य और उद्देश्य भी अनुच्छेद **16** की कसौटी को पूरा करना चाहिए।**[**पैरा **28] [291-**एफ**-**जी**]**

ई.

च

2.9 इसके अलावा, नियमों के तहत 'सरकारी अस्पतालों' की स्पष्ट परिभाषा के अभाव को देखते हुए, न्यायालय वैधानिक व्याख्या के एक उपकरण के रूप में संवैधानिक मूल्यों का उपयोग करना उचित समझता है।संविधान को न केवल विधानों की वैधता का परीक्षण करने के लिए एक मानक के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि राज्य की कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रेरणादायक दस्तावेज के रूप में भी देखा जाना चाहिए।जब दो प्रशंसनीय व्याख्याएँ होती हैं, तो संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।**[**पैरा **29] [291-**एच**; 292-**ए**-**बी**]**

जी.

एच.

आर बनाम जार्विस**, 2019** एस**.** सी**.** सी**. 10-**पर भरोसा किया।

क.

2.10 संवैधानिक योजना के तहत, 'राज्य' के दायित्वों और कर्तव्यों को तीन स्तरीय शासन प्रणाली का उपयोग करके स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है।राष्ट्रीय स्तर पर भारत संघ, राज्य स्तर पर अलग-अलग राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर पर विभिन्न नगरपालिकाएं/पंचायतें, समानांतर रूप से आम जनता के कल्याण के लिए अपने-अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं।संविधान के अनुच्छेद **47** के तहत अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, पर्याप्त पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्यों का सम्मान करते हुए, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं और अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित संस्थानों की स्थापना करती हैं।इसके अलावा, संविधान की अनुसूची **XI** की प्रविष्टि **23** के साथ पठित अनुच्छेद **243G** के तहत, राज्य का विधानमंडल "स्वास्थ्य और स्वच्छता" के कार्यों को सौंप सकता है।

ग

जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं।

पंचायती राज संस्थान।इसी तरह, राज्य विधानमंडल अनुसूची की प्रविष्टि **6** के साथ पठित अनुच्छेद **243W** के तहत कार्य सौंप सकता है।

डी.

बारहवीं, "सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और

नगरपालिकाओं को "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन"।इन स्थानीय सरकारों के अस्पताल अक्सर राज्यों के समेकित कोष से प्राप्त धन के आधार पर चलाए जाते हैं।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थानों सहित कई अलग-अलग सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अस्पतालों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।**[**पैरा **30,31] [292-**बी**-**एफ**]**

ई.

2.11 इसके अलावा, गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र या राज्य सरकारों, विशेष रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों की सहायता से देश भर में कई अस्पतालों की स्थापना की गई है।इसलिए ये अस्पताल सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए अन्य सरकारी अस्पतालों के बराबर हैं, और ऐसे अस्पतालों में एक डॉक्टर द्वारा

प्राप्त अनुभव बिहार सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल में प्राप्त विशेषताओं को समाहित करता है।**[**पैरा **32] [292-**जी**; 293-**ए**]**

च

जी.

2.12 अन्य अस्पताल भी भाग **IV** के तहत संवैधानिक दायित्वों के अनुसरण में राज्यों और केंद्र के उपकरणों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। हालाँकि ये ए द्वारा प्रस्तावित नियमों के दायरे में सख्ती से शामिल नहीं हैं।

एच.

279

डॉ. (प्रमुख) मीता सहाय बनाम बिहार और ओआरएस का राज्य।

प्रत्यर्थी**,** फिर भी बड़े पैमाने पर जनता को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।एक उपयुक्त उदाहरण सेना के अस्पतालों का है**,** और ऐसे अस्पतालों में प्राप्त अनुभव को नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है। **[**पैरा **33] [293-**बी**]**

2.13 इसलिए यह आग्रह करना तर्कहीन है कि ऐसे किसी भी अस्पताल में काम करने का अनुभव बिहार के सरकारी अस्पताल से अलग है।इसलिए**,** पंचायतों या नगर पालिकाओं द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इन अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा प्राप्त अनुभव और बिहार के क्षेत्र में इसके उपकरणों और बिहार सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के बीच अंतर की अनुमति देना संवैधानिक रूप से अन्यायपूर्ण होगा।राज्य सरकार और केंद्र सरकार या नगर पालिकाओं**/**पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित अस्पतालों के बीच भेदभाव करने का कोई भी प्रयास संवैधानिक शासन व्यवस्था के लोकाचार को प्रभावित करने के लिए बाध्य है।**[**पैरा **34] [293-**सी**-**डी**]**

ग

डी.

2.14 ऐसा कहने के बाद**,** न्यायालय इस तथ्य से अनजान नहीं है कि समानता का मतलब यह नहीं है कि कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है।इसके बजाय**,** कभी**-**कभी असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना आवश्यक हो सकता है**,** क्योंकि असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार एक अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा करता है।हालाँकि**,** इस तरह का वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए**,** बल्कि तर्कसंगत रूप से कुछ गुणवत्ता या विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए जो इस तरह से बनाए गए लोगों के वर्ग के भीतर पहचान योग्य हैं और इस तरह के वर्गीकरण से बाहर रखे गए लोगों में अनुपस्थित हैं। **[**पैरा **35] [293-**ई**]**

ई.

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ **(1992)** सप।**3** एससीसी

217 :[1992] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 454-**अनुसरण किया गया।

च

2.15 नियमों के निर्माण के पीछे का उद्देश्य बिहार के अस्पतालों की अनूठी चुनौतियों को पहचानना और डॉक्टरों को गैर**-**निजी अस्पतालों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना था।गैर**-**निजी अस्पताल में अनुभव उसके डॉक्टरों में संवेदनशीलता पैदा करता है**,** जिससे वे गरीब रोगियों की बीमारी और पीड़ा को समझने में अधिक निपुण हो जाते हैं।इस तरह का अनुभव निस्संदेह सरकारी अस्पतालों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में उपयोगी होगा और उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करते समय इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए।बिहार सरकार के तहत काम करने वाले व्यक्तियों के केवल एक छोटे से वर्ग को शामिल करने के लिए 'सरकारी अस्पतालों' की व्याख्या करना स्पष्ट रूप से गलत और योग्यता विरोधी है।ऐसा उद्देश्य नहीं होगा

जी.

एच.

280 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 15 एस. सी. आर.

क.

जैसा कि अर्थ लगाया गया है**,** नियमों की समझ से प्रभावित है।**[**पैरा **36] [293-**एफ**-**जी**; 294-**ए**-**बी**]**

2.16 इसलिए**,** बिहार स्वास्थ्य सेवा **(**नियुक्ति और सेवा शर्तें**)** नियम**, 2013** के नियम **5** और **6 (iii)** में बिहार सरकार या उसके उपकरणों द्वारा संचालित किसी भी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा प्राप्त अनुभव के साथ**-**साथ बिहार के क्षेत्र के भीतर किसी भी अन्य गैर**-**निजी अस्पताल **(**केंद्र सरकार**,** नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थानों या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संचालित अस्पतालों सहित**)** को शामिल किया गया है।तदनुसार प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी और अन्य समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों को उचित महत्व देकर एक नई योग्यता सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।**[**पैरा **37] [294-**सी**-**डी**]**

ग

डॉ**.** धर्मबीर कुमार बनाम बिहार राज्य **(2015) 2** पीएलजेआर **916;** राम सूरत मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। **(2008) 7** एस**.** सी**.** सी**. 409;** मेसर्स जे**.** के**.** जूट मिल्स कं**.** लिमिटेड बनामयू**.** पी**.** एयर का राज्य

डी.

1961 एससी **1534 [1962]** एससीआर **1-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

(2015) 2 पीएलजेआर **916**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

(2008) 7 एस**.** सी**.** सी**. 409**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

ई.

[1962] एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

(2010) 12 एस**.** सी**.** सी**. 576**

पर भरोसा किया

पैरा **17**

पर भरोसा किया

पैरा **21**

[2009] 5 एससीआर **89**

[2004] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 668** पैरा **22 [2004] 6** सप्लीमेंट पर निर्भर था।पैरा **22 [1955] 1** एस**.** सी**.** आर**. 829** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 1141**

च

पर भरोसा किया

पैरा **24**

562 अमेरिका **397 (2011)**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

(2019) एससीसी **10**

पर भरोसा किया

पैरा **29**

जी.

[1992] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 454** ने पैरा **35** का अनुसरण किया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2019 की सिविल अपील संख्या 9482।

2016 के एल. पी. ए. सं. 1860 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 24.11.2016 से।

एच.

281

डॉ. (प्रमुख) मीता सहाय बनाम बिहार और ओआरएस का राज्य।

क.

गौरव अग्रवाल, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

शिवम सिंह, गुरप्रीत सिंह गुप्ता, गोपाल सिंह, नवीन प्रकाश, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट**,** जे।

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. वर्तमान अपील को एल. पी. ए. सं. 1860/2016 में पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 24.11.2016 के आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है, जिसमें अपीलार्थी के सैन्य अस्पताल में कार्य अनुभव को बिहार राज्य में सामान्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में महत्व और परिणामी चयन और नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया था, इस आधार पर कि बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2013 (इसके बाद, "नियम") के नियम 6 (iii) ने अनिवार्य किया कि केवल बिहार सरकार द्वारा संचालित अस्पताल के रोजगार में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ही कार्य अनुभव के शीर्ष के तहत गिना जा सकता है।

ग

डी.

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

3. जाहिर तौर पर बिहार में डॉक्टरों की लगातार कमी को दूर करने के लिए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था, बिहार राज्य ने अस्पतालों में खाली पदों को भरने का फैसला किया।तदनुसार, बिहार लोक सेवा आयोग (इसके बाद, "आयोग") द्वारा विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों में 18.07.2014 पर एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें बिहार में सामान्य चिकित्सा अधिकारी के 2301 रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।चयन प्रक्रिया को विज्ञापन के खंड 5 में स्पष्ट किया गया था जिसमें सामान्य उप-संवर्ग के डॉक्टरों का चयन शैक्षणिक योग्यता (एमबीबीएस में प्राप्त अंक-50 अंक, और उच्च डिग्री-10 अंक), कार्य अनुभव (अधिकतम 25 अंकों के लिए प्रति वर्ष 5 अंक) और साक्षात्कार में प्राप्त अंक (15 अंकों में से) के लिए वेटेज देकर तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर किया जाना था। चयन मानदंडों को उपयुक्त रूप से समझने के लिए विज्ञापन के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

ई.

च

जी.

“5. चयन प्रक्रिया-सामान्य उप संवर्ग में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और अंकों के आधार पर तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा।

एच.

क.

साक्षात्कार में प्राप्त किया।यदि रिक्ति/रिक्तियों से अधिक आवेदन हैं, तो आरक्षण के अनुसार निर्धारित रिक्ति/रिक्तियों के मुकाबले पांच बार उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

100 अंक शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए जाएंगे।100 अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी -

M.B.B.S में प्राप्त अंक-कुल 50 अंक

मास्टर डिग्री या उच्चतर डिग्री-कुल 10 अंक

सरकारी अस्पतालों में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के बाद कार्य अनुभव **(**केवल बिहार सरकार के सरकारी अस्पताल के कार्य अनुभव को गिना जाएगा**)-**कुल **25** अंक

ग

लेकिन पूरे वर्ष के कार्य अनुभव के लिए 05 अंक दिए जाएंगे, इस प्रकार अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे।

डी.

मौखिक साक्षात्कार-कुल 15 अंक।

नोट-(ए) किसी भी उम्मीदवार को M.B.B.S पाठ्यक्रम के आधार पर दिए गए अंक उक्त पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाओं की कुल संख्या के साथ 0.5 के गुणन पर होंगे, अर्थात।, यदि किसी उम्मीदवार द्वारा सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों की कुल संख्या 50 प्रतिशत हो जाती है, तो उसे 50 प्रतिशत x 0.5 = 25 अंक दिए जाएंगे।

ई.

(ख)

(sic)

(ग) सामान्य कर्तव्य उप संवर्ग में नियुक्ति के लिए किसी भी उम्मीदवार के विचार के लिए शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर न्यूनतम 30 अंकों की आवश्यकता होगी।"

च

(जोर दिया गया)

4. इस विज्ञापन के अनुसार, अपीलार्थी ने सामान्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए भी आवेदन किया।उन्हें एक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था जहां उन्हें बताया गया था कि 'कार्य अनुभव' के शीर्ष के तहत कोई अंक नहीं दिए जा सकते हैं क्योंकि उनके पास बिहार सरकार द्वारा संचालित अस्पताल में अनुभव की कमी है।साक्षात्कार के संचालन के बाद, एक योग्यता सूची तैयार की गई थी।अपीलार्थी योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने में असफल रही क्योंकि उसने केवल 42.61 अंक प्राप्त किए थे जो सामान्य श्रेणी के लिए 53.04 अंकों की निर्धारित कट ऑफ को पूरा नहीं करते थे।

जी.

एच.

283

डॉ. (प्रमुख) मीता सहाय बनाम बिहार और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

क.

5. पीड़ित अपीलार्थी ने आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के खंड 5 (iii) को इस हद तक चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की कि 'कार्य अनुभव' के लिए अंक देने के लिए केवल बिहार सरकार के अस्पतालों में कार्य अनुभव पर विचार किया जाएगा।अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विज्ञापन का यह खंड नियमों का उल्लंघन था (जो केवल बिहार सरकार के अस्पतालों में होने वाले कार्य अनुभव की ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है)।वह इस बात से परेशान थीं कि आर्मी मेडिकल कॉर्प अस्पताल में उनके कार्य अनुभव की उपेक्षा की गई थी, जबकि बिहार के सरकारी अस्पतालों में सेवा देने वाले अन्य लोगों को उचित महत्व दिया गया था।उन्होंने महसूस किया कि यदि नियमों की इस गलत व्याख्या के लिए नहीं, तो उन्हें सामान्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए चुना जाता।इसी तरह, कुछ अन्य उम्मीदवारों ने भी बिहार सरकार द्वारा प्रशासित अस्पतालों के अलावा गैर-निजी अस्पतालों में कार्य अनुभव पर विचार न करने के कारण अपने बहिष्कार का विरोध करते हुए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

ग

डी.

6. उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने इन सभी रिट याचिकाओं को एक संक्षिप्त आदेश के साथ खारिज कर दिया कि इस तरह के प्रावधान की वैधता को पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पहले ही बरकरार रखा जा चुका है।

डॉ**.** धर्मबीर कुमार बनाम बिहार राज्य **1** और इसलिए**,** अपीलार्थी

यह दलील नहीं दे सका कि कार्य अनुभव का मूल्यांकन करते समय सेना के अस्पतालों में प्रदान की गई सेवा के बहिष्कार के परिणामस्वरूप भेदभाव हुआ।

ई.

7. इस आदेश से असंतुष्ट, अपीलार्थी ने एक लेटर पेटेंट अपील दायर की, जिसमें सबसे प्रमुख याचिका यह थी कि विज्ञापन की शर्त जो केवल बिहार सरकार के अस्पतालों तक ही सीमित थी, उन नियमों के विपरीत थी जो योग्यता सूची बनाने के उद्देश्य से किसी भी सरकारी अस्पताल में अनुभव के लिए महत्व देते थे।इसके अलावा, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि धर्मबीर (उपरोक्त) मामले में खंड पीठ ने दंत चिकित्सकों की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें संविदात्मक कर्मचारियों को अनुभव का लाभ देने के खिलाफ चुनौती दी गई थी।यह वर्तमान मामले से अलग होने के रूप में तर्क

दिया गया था।इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने समान बिहार दंत चिकित्सक सेवा नियम, 2014 के अंग्रेजी संस्करण पर भरोसा रखा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा संचालित अस्पतालों को शामिल करने के लिए 'सरकारी अस्पताल' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि इसे वर्तमान उदाहरण में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

च

जी.

एच.

1 2015 (2) पीएलजेआर 916

284

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 15 एस सी आर।

8. डिवीजन बेंच ने कई फैसलों पर भरोसा रखा

राम सूरत मिश्रा बनाम यू**.** पी**. 2** राज्य और मैसर्स जे**.** के**.** जूट मिल्स कंपनी सहित यह न्यायालय। लि**. V.** यू**.** पी**. 3** का राज्य**,** और उसमें दिए गए कथन का पालन किया

यह ध्यान देने के लिए कि कैसे हिंदी संस्करण में केवल बिहार सरकार का उल्लेख किया गया है और अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच टकराव होने के कारण, बिहार दंत चिकित्सक सेवा नियम, 2014 का बाद वाला संस्करण प्रबल होगा।पीठ ने आगे कहा कि दंत चिकित्सक नियमों के नियम 2 (ए) में 'सरकार' को बिहार सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है और इस प्रकार नियम 6 (iii) के तहत कार्य अनुभव को नियम 2 (ए) के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो यह दर्शाता है कि कार्य अनुभव के शीर्ष के तहत अंक देने के लिए केवल बिहार सरकार के अस्पतालों में कार्य अनुभव पर विचार किया जाना चाहिए।इस प्रकार अदालत के भीतर की अपील को खारिज कर दिया गया, जिससे इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से और अधिक चुनौती दी गई।

ग

दलों का आयोजन

9. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि खंड पीठ का निर्णय गलत था।उन्होंने विज्ञापन के खंड 5 (iii) की आलोचना की और आग्रह किया कि केवल बिहार सरकार के अस्पतालों के लिए कार्य अनुभव का प्रतिबंध मनमाना और नियमों के नियम 5 और नियम 6 (iii) के विपरीत था, जो निम्नानुसार हैः

डी.

"5. सामान्य कर्तव्य उप संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिएः

ई.

बशर्ते कि चिकित्सा विज्ञान के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर या उच्चतर डिग्री धारक और किसी भी सरकारी अस्पताल में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त डॉक्टरों को कार्य अनुभव के लिए महत्व दिया जाएगा।

6. सामान्य उप-संवर्ग में नियुक्ति के लिए डॉक्टरों के चयन के लिए उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के लिए अंक दिए जाएंगे।इसके अलावा, उन्हें मौखिक साक्षात्कार के लिए भी अंक दिए जाएंगे।

च

शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और साक्षात्कार के लिए कुल 100 अंक होंगे।इन 100 अंकों का विभाजन इस प्रकार होगाः

जी.

(i) एमबीबीएस में प्राप्त अंक

कुल 50 अंक

((ii) स्नातकोत्तर या उच्चतर डिग्री।

कुल 10 अंक

2 (2008) 7 एससीसी 409 3 एआईआर 1961 एससी 1534 ए

एच.

285

डॉ. (प्रमुख) मीता सहाय बनाम बिहार और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

(iii) नियुक्ति के बाद कार्य अनुभव अनुबंध पर सरकारी अस्पताल में कुल 25 अंक /

नियमित रूप से।

बशर्ते कि प्रत्येक पूर्ण एक वर्ष के कार्य अनुभव के लिए, उम्मीदवारों को 5 अंक दिए जाएंगे और इस प्रकार अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे।

((iv) साक्षात्कार

कुल 15 अंकों का नोटः(क) एमबीबीएस के लिए उम्मीदवार को दिए जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा में प्राप्त अंकों के कुल प्रतिशत के 0.5 के गुणक में होगा।इस प्रकार, यदि किसी उम्मीदवार ने 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 50 x 0.5 = 25 अंक मिलेंगे।

ग

(ख) सामान्य उप संवर्ग और विशेषज्ञ उप संवर्ग में नियुक्ति के लिए विचार के लिए न्यूनतम 30 अंकों की आवश्यकता होगी।"

डी.

(जोर दिया गया)

10. उन्होंने तर्क दिया कि नियम 'सरकारी अस्पताल' शब्द को परिभाषित नहीं करते हैं और इसलिए इसका सामान्य अर्थ लिया जाना चाहिए।चूंकि नियमों को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत तैयार किया गया है, इसलिए वे एक कानून के समान बल रखते हैं और आयोग या राज्य सरकार विज्ञापन के माध्यम से "किसी भी सरकारी अस्पताल" के अर्थ को केवल "बिहार सरकार के सरकारी अस्पताल" तक सीमित नहीं रख सकती थी।यह भी तर्क दिया गया कि गैर-बिहार सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का बहिष्कार भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि यह बेहतर योग्य डॉक्टरों की भर्ती को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में प्राप्त तकनीकी ज्ञान या विशेषज्ञता को मान्यता देने के नियमों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में विफल रहा।विद्वान वकील ने हालांकि स्वीकार किया कि सरकारी अस्पतालों में प्राप्त कार्य अनुभव निजी अस्पतालों की तुलना में अलग था क्योंकि गरीब रोगियों के साथ डॉक्टरों की बातचीत और वे न्यूनतम बुनियादी ढांचे के साथ काम करने के आदी थे, फिर भी तर्क दिया कि बिहार सरकार के अस्पतालों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं ने राज्य के अन्य गैर-निजी अस्पतालों की तुलना में कोई विशेष अनुभव नहीं दिया; और यह कि दोनों श्रेणियों के लिए कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं किया गया था, इसी तरह मामूली वेतन के बदले में रोगियों के झुंड को चिकित्सा उपचार दिया गया था।

ई.

च

जी.

एच.

286

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 15 एस सी आर।

11. अपीलार्थी के वकील ने आगे अपने तर्क को नियमों के नियम 5 और 6 (iii) पर आधारित किया, जिसमें 'कोई भी सरकारी अस्पताल' शब्द शामिल है, यह तर्क देने के लिए कि किसी भी असंवैधानिकता से बचने के लिए केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा संचालित अस्पतालों सहित बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों को शामिल करने के लिए इसकी व्याख्या की जानी चाहिए।यह तर्क दिया गया कि नियमों के नियम 2 (ए) के तहत 'सरकार' की परिभाषा 'सरकारी अस्पताल' शब्द के अर्थ को नियंत्रित नहीं करती है क्योंकि 'सरकारी अस्पताल' के उपसर्ग के रूप में 'कोई भी' की उपस्थिति इस तथ्य का संकेत है कि नियमों में सभी सरकारी अस्पतालों को इसके दायरे में रखा गया है।उन्होंने नियमों में निहित परिभाषा खंड का एक स्पष्ट संदर्भ दिया, जिसे नीचे निकाला गया हैः

ग

"2. परिभाषाएँ।**–** इस नियम में जब तक कि इस संदर्भ में कुछ और आवश्यक न होः

((क**)** **'**सरकार**'** से बिहार सरकार अभिप्रेत है।

XXXXXXX "

डी.

(जोर दिया गया)

12. यह भी आग्रह किया गया कि बिहार दंत चिकित्सक सेवा नियम, 2014 के अंग्रेजी संस्करण पर हिंदी संस्करण के प्रभुत्व के संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणी वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगी क्योंकि यह मुद्दा एक अलग अधिनियम से संबंधित है जिसमें संस्करणों के बीच कोई टकराव नहीं है।अपीलार्थी ने कहा कि दंत चिकित्सक नियमों के अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ, जिसमें स्पष्ट रूप से 'सरकारी अस्पताल' को बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों अस्पतालों के रूप में परिभाषित किया गया है, केवल इस तर्क का समर्थन करने के लिए उदाहरणात्मक था कि 'सरकारी अस्पताल' का अर्थ 'सरकार' से अलग हो सकता है और इस प्रकार उनके मामले को इस मामले में खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।

ई.

च

13. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अपीलार्थी की चुनौती की स्थिरता पर सवाल उठाया और आग्रह किया कि एक बार जब कोई उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में भाग ले लेता है, तो वह बाद के चरण में केवल चयन में विफल होने के कारण इसकी शुद्धता को चुनौती नहीं दे सकता है।यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थी सफलता पर 'दो शॉट' ले रहा था, और अवसरवादी होने के कारण उसकी चुनौती का विरोध किया गया था।इसके अलावा उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि दंत चिकित्सक नियमों से निष्कर्ष निकालने के अपीलार्थी के प्रयास को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।इसके अलावा, विज्ञापन को ए के रूप में दिखाया गया था

जी.

एच.

287

डॉ. (प्रमुख) मीता सहाय बनाम बिहार और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

केवल यह स्पष्ट करने के लिए कि अंक केवल बिहार सरकार के अस्पतालों में कार्य अनुभव के लिए दिए जाएंगे।

14. इसके अतिरिक्त, आयोग ने अन्य प्रत्यर्थियों द्वारा लिए गए रुख के पूरक के रूप में एक अलग जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि अदालतों को नियोक्ता द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से अवैध नहीं पाया गया हो।आयोग द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि डिवीजन बेंच ने नियमों के नियम 2 (ए) के आलोक में 'सरकारी अस्पताल' शब्द के अर्थ और दायरे की सही व्याख्या की, जो 'सरकार' को बिहार सरकार के रूप में परिभाषित करता है, और इसलिए फैसला सुनाया कि विज्ञापन विषय नियमों के अनुसार है।

ग

निष्कर्ष और विश्लेषण

15. हम शुरू में ही स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्तमान मामले में हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के मिलान का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि नियमों के दोनों संस्करण समान रूप से लिखे गए हैं।इस प्रकार हम इस धारणा के तहत आगे बढ़ते हैं कि किसी भी संघर्ष के मामले में हिंदी अंग्रेजी संस्करण पर हावी होगी।

डी.

प्रारंभिक मुद्दे

16. इसके अलावा, इसमें शामिल कानूनी मुद्दों का विश्लेषण शुरू करने से पहले, प्रारंभिक मुद्दे को संबोधित करना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा चुनौती की स्थिरता पर इस आधार पर सवाल उठाया गया है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद वह केवल चयन में विफलता के कारण इसे चुनौती नहीं दे सकती है।प्रत्यर्थियों के वकील ने अपनी आपत्ति को साबित करने के लिए इस न्यायालय के कई फैसलों पर भरोसा किया।

ई.

च

17. यह अच्छी तरह से तय है कि रोक का सिद्धांत एक उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में विफल होने के बाद उसे चुनौती देने से रोकता है जैसा कि इस न्यायालय ने मनीष सहित कई निर्णयों में दोहराया है।

कुमार शाही बनाम बिहार राज्य **4,** निम्नानुसार अवलोकन करते हुएः

“16. हम उच्च न्यायालय से भी सहमत हैं कि चयन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद यह अच्छी तरह से जानते हुए कि मौखिक परीक्षा के लिए 19 प्रतिशत से अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं, अपीलार्थी चयन के मानदंड या प्रक्रिया को चुनौती देने का हकदार नहीं है।निश्चित रूप से, यदि अपीलार्थी का नाम योग्यता सूची में आता, तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होता

जी.

4 (2010) 12 एस. सी. सी. 576

एच.

चयन को चुनौती देना।अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को तभी लागू किया जब उसे पता चला कि उसका नाम आयोग द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में नहीं है।अपीलार्थी का यह आचरण स्पष्ट रूप से उसे चयन पर सवाल उठाने से अयोग्य ठहराता है और उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करके कोई त्रुटि नहीं की।" 5

इस सिद्धांत का अंतर्निहित उद्देश्य उम्मीदवारों को विचार में एक और प्रयास करने से रोकना है, और एक ऐसे गतिरोध से बचना है जिसमें प्रत्येक असंतुष्ट उम्मीदवार, चयन में विफल होने के बाद, दूसरा मौका पाने की उम्मीद में इसे चुनौती देता है।

ग

18. हालाँकि, हमें इस सिद्धांत से अलग होना चाहिए क्योंकि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत होकर केवल निर्धारित प्रक्रिया को स्वीकार करता है न कि इसमें अवैधता को।ऐसी स्थिति में जहां एक उम्मीदवार वैधानिक नियमों के गलत निर्माण और उससे उत्पन्न होने वाले भेदभावपूर्ण परिणामों का आरोप लगाता है, उसे केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक उम्मीदवार ने इसमें भाग लिया है।संवैधानिक योजना पवित्र है और किसी भी तरह से इसका उल्लंघन अस्वीकार्य है।वास्तव में, एक उम्मीदवार को संविधान के प्रावधानों की लाइलाज अवैधता या अपमान पर हमला करने का अधिकार नहीं हो सकता है, जब तक कि वह चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है।

डी.

19. सरकारी अस्पतालों में 'कार्य अनुभव' के लिए महत्व देने की अनुमति का सवाल भी इस मामले में विवाद का विषय नहीं है। चिकित्सा एक व्यावहारिक विज्ञान होने के नाते केवल शैक्षणिक ज्ञान से महारत हासिल नहीं की जा सकती है।एक उम्मीदवार का लंबा अनुभव उसके ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ाता है।इसी तरह, सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों से काफी अलग हैं क्योंकि पहले वाले में अद्वितीय बुनियादी ढांचे की कमी है और वे गरीब जनता से निपटते हैं।ऐसे गैर-निजी अस्पतालों में डॉक्टर मामूली वेतन के बदले में रोगियों के झुंड को चिकित्सा उपचार देकर सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।इसलिए, जब कार्य अनुभव की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, तो सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों को अलग-अलग वर्गों के रूप में मान्यता देने पर कोई विवाद नहीं है।इसके बजाय इस तरह की मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि बिहार जैसे गैर-समृद्ध राज्यों में भर्ती किए गए डॉक्टरों को उन क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक जोखिम हो।

ई.

च

जी.

5 यह भी देखेः मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [(1995) 3 एस. सी. सी.], मर्रिपती नागराज बनाम ए. पी. राज्य [(2007) 11 एस. सी. सी. 522], धनंजय मलिक बनाम उत्तरांचल राज्य [(2008) 4 एस. सी. सी. 171] और के. ए. नागमणि बनाम इंडियन एयरलाइंस [(2009) 5 एस. सी. सी. 515] ए.

एच.

289

डॉ. (प्रमुख) मीता सहाय बनाम बिहार और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

20. इस प्रकार अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया को सही ढंग से चुनौती नहीं दी है, लेकिन योग्यता निर्धारण के हिस्से के रूप में 'कार्य अनुभव' की उत्तरदाताओं की व्याख्या के खिलाफ अपने दावे को सीमित कर दिया है।चूँकि किसी क़ानून या नियम की व्याख्या न्यायालयों का अनन्य क्षेत्र है, और ऐसे मानदंडों को चित्रित करने में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश को देखते हुए, अपीलार्थी की चुनौती को सीमा पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, हम विशेष रूप से अपीलार्थी के मामले की योग्यता पर टिप्पणी

नहीं कर रहे हैं, और हमारा दृढ़ संकल्प चयन प्रक्रिया के परिणाम के लिए अलग है।यह संभव है कि इसके बाद जो आयोजित किया गया है उसके बाद उसे चुना जाए या नहीं।

वैधानिक व्याख्या

21. यह वैधानिक व्याख्या की एक स्थिर तोप है कि पहले कदम के रूप में, न्यायालयों को प्रावधान के पाठ की व्याख्या करनी चाहिए और इसका शाब्दिक रूप से निर्माण करना चाहिए।कानून के प्रावधानों को उनके मूल व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसके शब्दों को एक सामान्य पाठ्य अर्थ दिया जा सके।हालांकि, व्याख्या के इस उपकरण को केवल उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां अधिनियम का पाठ केवल एक अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील है।6 फिर भी, ऐसी स्थिति में जहां पाठ के अर्थ में अस्पष्टता है, न्यायालयों को ली गई व्याख्या के परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

ग

डी.

22. यह न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि वे पाठ की व्याख्या इस तरह से करें जिससे कठिनाई, असुविधा, अन्याय, बेतुकेपन या विसंगति के किसी भी तत्व को समाप्त किया जा सके।7 वैधानिक निर्माण के इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ 8 में यह दोहराते हुए अनुमोदित किया गया है कि एक कानून को अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रणाली में कोई भ्रम या घर्षण पैदा नहीं करना चाहिए।यदि इस तरह के कानून के पाठ का सामान्य अर्थ प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के लिए अनुकूल नहीं है, तो ऐसी कमी को दूर करने के लिए इसकी व्याख्या तदनुसार की जानी चाहिए।

ई.

च

23. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञापन जैसे कार्यकारी कार्य न तो कानूनों के दायरे या उद्देश्य का विस्तार कर सकते हैं और न ही उन्हें प्रतिबंधित कर सकते हैं।इसलिए नियमों में 'सरकारी अस्पताल' वाक्यांश की व्याख्या पर विचार करना आवश्यक है। दो व्याख्याएँ हमारे सामने रखी गई हैं जिनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

जी.

ए। केवल बिहार सरकार द्वारा संचालित अस्पताल।

6 नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता, (2005) 2 एससीसी 27113.

7 स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के सिद्धांतों पर जी. पी. सिंह (14 वां संस्करण, 2016) पीपी. 145-170।

8 (2004) 5 एस. सी. सी. 583·62।

एच.

बी। बिहार सरकार या उसके उपकरणों द्वारा संचालित अस्पतालों के साथ-साथ बिहार क्षेत्र के भीतर कोई अन्य गैर-निजी अस्पताल।

शब्द की पहली व्याख्या, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा दी गई है, एक संकीर्ण वर्ग बनाती है जबकि अपीलार्थी द्वारा उपयोग की जाने वाली बाद की व्याख्या व्यापक और अधिक समावेशी है।

शाब्दिक व्याख्या

24. शुरुआत में, उत्तरदाताओं का यह तर्क कि 'सरकारी अस्पताल' शब्द का अर्थ नियमों के नियम 2 (ए) के तहत 'सरकार' की प्रतिबंधात्मक परिभाषा से बंधा होगा, ठीक नहीं लगता है।यह तय किया गया है कि वैधानिक व्याख्या के दौरान व्याकरणिक नियमों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।9 नियम 2 एक परिभाषित प्रावधान है और 'सरकार' को एक संज्ञा के रूप में परिभाषित करता है।हालाँकि, यह आवश्यक रूप से उन उदाहरणों को नियंत्रित नहीं करेगा जहाँ शब्द का उपयोग किसी अन्य रूप में किया गया है।10 नियम 5 के तहत, ऑपरेटिव वाक्यांश "कोई भी सरकारी अस्पताल" है।यहाँ, 'सरकार' कुछ संस्थाओं द्वारा संचालित लोगों को बाहर करने के लिए 'अस्पताल' संज्ञा को प्रतिबंधित रूप से परिभाषित कर रही है।इस प्रकार, 'सरकारी अस्पताल' के हिस्से के रूप में 'सरकार' एक संज्ञा सहायक है और इसका उपयोग एक विशेषण के रूप में किया गया है।किसी संज्ञा का उसके विशेषण रूप में इस तरह का उपयोग उसके चरित्र को पूरी तरह से बदल देता है और उसके संज्ञा रूप के अर्थ को आयात करना मूर्खतापूर्ण होगा।यह विशेष रूप से सच है कि कैसे नियम 2 के प्रारंभिक भाग में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि इसके तहत निर्धारित परिभाषाओं को तब तक संदर्भित किया जाएगा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो।इसलिए 'सरकारी अस्पताल' वाक्यांश को अन्य गैर-निजी अस्पतालों को बाहर करने के लिए नहीं माना जा सकता है जो अन्यथा विशेष रूप से सरकारों की सहायता और सहायता से चलाए जाते हैं।इसके अतिरिक्त सामान्य उपयोग में अंतर को देखते हुए जहां 'सरकारी अस्पताल' सभी गैर-निजी अस्पतालों को संदर्भित करता है न कि किसी विशेष सरकार द्वारा स्थापित अस्पतालों को, नियम 5 और 6 (iii) नियम 2 (ए) से बाध्य नहीं होंगे।

ग

डी.

ई.

च

25. नियम 5 में 'कोई भी' शब्द की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है।यह कार्य अनुभव अर्जित करने के लिए पात्र अस्पतालों को व्यापक अर्थ प्रदान करने के लिए एक विधायी इरादे का संकेत देता है।नियम 2 (ए) की प्रतिबंधात्मक परिभाषा का आयात करने से एक विसंगत स्थिति पैदा होगी।

जी.

9 नवीनचंद्र मफतलाल बनाम सी. आई. टी., (1955) 1 एस. सी. आर. 829·6।

10 एफसीसी बनाम एटी एंड टी इंक. 562 यू. एस. 397 (2011) देखें; जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संज्ञा के रूप में 'व्यक्ति' की परिभाषा एक विशेषण के रूप में इसके उपयोग पर लागू नहीं होगी।

एच.

291

डॉ. (प्रमुख) मीता सहाय बनाम बिहार और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

क.

एक ही अंतर्निहित संज्ञा पर लागू होने वाले विस्तृत और प्रतिबंधात्मक दोनों विशेषण होने पर।नतीजतन, हम वाक्यांश की एक विस्तृत व्याख्या को अपनाने के लिए इच्छुक हैं, और नियम 2 (ए) पर भार नहीं डालते हैं, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा आग्रह किया गया है।

26. इसके अलावा, उत्तरदाताओं की व्याख्या को अपनाने से अनिश्चितता बढ़ेगी और व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा होंगी।जब नियम 2 (ए) को 'सरकारी अस्पताल' पर लागू किया जाता है तो इस बारे में पर्याप्त अस्पष्टता पैदा होती है कि क्या सरकार के उपकरणों द्वारा संचालित अस्पताल, जो सख्ती से बिहार सरकार के स्वामित्व में नहीं हैं, उन्हें नियम 5 में शामिल किया जाएगा या नहीं।जब प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील से एक स्पष्ट प्रश्न पूछा गया कि क्या नगरपालिका द्वारा स्थापित अस्पताल या राज्य के धन द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित संस्थान द्वारा संचालित अस्पताल को उनकी परिभाषा में शामिल किया जाएगा, तो कोई

स्पष्ट उत्तर सामने नहीं आया।इस तरह के मुद्दे किसी भी चयन प्रक्रिया में बार-बार उठना तय है।यह देखते हुए कि इस तरह के प्रश्नों का कोई सरल उत्तर कैसे नहीं है, सरकार द्वारा अपनाई गई कठोर व्याख्या केवल प्रणाली में टकराव का कारण बनेगी और व्याख्यात्मक अराजकता का कारण बनेगी जो सार्वजनिक रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण अधिकार को कमजोर करेगी।27. इसके अलावा, यदि एक ऐसे विकल्प का सामना करना पड़ता है जिसमें केवल कुछ लोग पात्र होंगे बनाम एक काफी बड़ा समूह, तो हमें लगता है कि बाद वाले को विभिन्न प्रकार के आवेदकों के समूह के लिए अपनाया जाना चाहिए।यह योग्यता को बढ़ावा देगा, बेहतर डॉक्टर लाएगा और जनता को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करने की संवैधानिक योजना को आगे बढ़ाएगा।इस प्रकार हमारा विचार है कि मामले में नियमों के प्रावधानों को शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को लागू करके समझा या समझाया नहीं जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या

28. उपरोक्त विश्लेषण के अनुसरण में, हमारा विचार है कि नियमों के प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सहारा लेना आवश्यक है, इसके उद्देश्यों के आलोक में।अन्यथा अनुच्छेद 309 के प्रारंभिक भाग के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियम अन्य सभी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से भाग III शामिल है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती से निपटने के लिए, यह स्पष्ट है कि नियमों का उद्देश्य और उद्देश्य भी अनुच्छेद 16 की कसौटी को पूरा करना चाहिए।

जी.

29. इसके अलावा, नियमों के तहत 'सरकारी अस्पतालों' की स्पष्ट परिभाषा की अनुपस्थिति को देखते हुए जो केंद्रीय चरण है

एच.

इस बहस में, हम संवैधानिक मूल्यों का उपयोग वैधानिक व्याख्या के एक उपकरण के रूप में करना उचित समझते हैं।यह सर्वविदित है कि संविधान को न केवल विधानों की वैधता का परीक्षण करने के लिए एक मानक के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि राज्य की कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रेरणादायक दस्तावेज के रूप में भी देखा जाना चाहिए।जब दो प्रशंसनीय व्याख्याएँ होती हैं, तो संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।11

30. हमारी संवैधानिक योजना के तहत, 'राज्य' के दायित्वों और कर्तव्यों को शासन की तीन-स्तरीय प्रणाली का उपयोग करके स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है।राष्ट्रीय स्तर पर भारत संघ, राज्य स्तर पर अलग-अलग राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर पर विभिन्न नगरपालिकाएं/पंचायतें, समानांतर रूप से आम जनता के कल्याण के लिए अपने-अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं।

ग

31. संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, पर्याप्त पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्यों का सम्मान करते हुए, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं

और अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित संस्थानों की स्थापना करती हैं।इसके अलावा, संविधान की अनुसूची XI की प्रविष्टि 23 के साथ पठित अनुच्छेद 243G के तहत, राज्य का विधानमंडल "स्वास्थ्य और स्वच्छता" के कार्यों को सौंप सकता है, जिसमें शामिल हैं -

डी.

अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों को

पंचायती राज संस्थान।इसी तरह, राज्य विधानमंडल अनुसूची बारहवीं की प्रविष्टि 6 के साथ पठित अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत कार्य सौंप सकता है।

ई.

सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट

नगरपालिकाओं के लिए प्रबंधन।इन स्थानीय सरकारों के अस्पताल अक्सर राज्यों के समेकित कोष से प्राप्त धन के आधार पर चलाए जाते हैं।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थानों सहित कई अलग-अलग सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अस्पतालों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

च

32. इसके अलावा, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र या राज्य सरकारों, विशेष रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों के उपकरणों द्वारा देश भर में कई अस्पतालों की स्थापना की गई है।इसलिए ये अस्पताल सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए अन्य सरकारी अस्पतालों के बराबर हैं।

जी.

11 आर बनाम जार्विस, 2019 एस. सी. सी. 10 देखें; जहाँ कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स का उपयोग कुछ मामलों में एक व्याख्यात्मक उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

एच.

293

डॉ. (प्रमुख) मीता सहाय बनाम बिहार और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

क.

ऐसे अस्पतालों में डॉक्टर बिहार सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल में प्राप्त विशेषताओं को शामिल करते हैं।

33. अन्य अस्पताल भी भाग IV के तहत संवैधानिक दायित्वों के अनुसरण में राज्यों और केंद्र के उपकरणों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यद्यपि ये उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तावित नियमों के दायरे में सख्ती से शामिल नहीं हैं, फिर भी बड़े पैमाने पर जनता को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के समान उद्देश्य को पूरा करते हैं।एक उपयुक्त उदाहरण सेना के अस्पतालों का है, और ऐसे अस्पतालों में प्राप्त अनुभव को नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है।

34. इसलिए यह आग्रह करना तर्कहीन है कि ऐसे किसी भी अस्पताल में काम करने का अनुभव बिहार के सरकारी अस्पताल से अलग है।इसलिए, पंचायतों या नगर पालिकाओं द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इन अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा प्राप्त अनुभव और बिहार के क्षेत्र में इसके उपकरणों और बिहार सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के बीच अंतर की अनुमति देना संवैधानिक रूप से अन्यायपूर्ण होगा।राज्य सरकार और केंद्र सरकार या नगर पालिकाओं/पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित अस्पतालों के बीच भेदभाव करने का कोई भी प्रयास हमारे संवैधानिक शासन ढांचे के लोकाचार को प्रभावित करने के लिए बाध्य है।

ग

डी.

35. ऐसा कहने के बाद, हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि समानता का मतलब यह नहीं है कि कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है।इसके बजाय, कभी-कभी असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना आवश्यक हो सकता है, क्योंकि असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार एक अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा करता है।12 हालाँकि, इस तरह का वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत रूप से कुछ गुणवत्ता या विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए जो इस तरह से बनाए गए लोगों के वर्ग के भीतर पहचान योग्य हैं और इस तरह के वर्गीकरण से बाहर रखे गए लोगों में अनुपस्थित हैं।

ई.

च

36. हमारा विचार है कि नियमों के निर्माण के पीछे का उद्देश्य बिहार के अस्पतालों की अनूठी चुनौतियों को पहचानना और डॉक्टरों को गैर-निजी अस्पतालों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना था।उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में कुछ सार है कि बिहार मुख्य रूप से गरीब है और इसलिए निजी अस्पतालों में अपने समकक्षों की तुलना में ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के संपर्क में आने वाले डॉक्टरों की आवश्यकता होती है।गैर-निजी अस्पताल में अनुभव उसके डॉक्टरों में संवेदनशीलता पैदा करता है, जिससे वे गरीब रोगियों की बीमारी और पीड़ा को समझने में अधिक निपुण हो जाते हैं।इस तरह का अनुभव निस्संदेह आगे बढ़ने में उपयोगी होगा।

जी.

12 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 सप.(3) एस. सी. सी 217415.

एच.

सरकारी अस्पतालों का उद्देश्य और उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करते समय उन्हें उचित महत्व दिया जाना चाहिए।बिहार सरकार के तहत काम करने वाले व्यक्तियों के केवल एक छोटे से वर्ग को शामिल करने के लिए 'सरकारी अस्पतालों' की व्याख्या करना स्पष्ट रूप से गलत और योग्यता विरोधी है।इस तरह का उद्देश्य नियमों की समझ से पराजित नहीं होगा जैसा कि हमारे द्वारा समझा गया है।

निष्कर्ष

37. ऊपर बताए गए कारणों से, अपील की अनुमति है।बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2013 के नियम 5 और 6 (iii) में बिहार सरकार या उसके उपकरणों द्वारा संचालित किसी भी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा प्राप्त अनुभव के साथ-साथ बिहार के क्षेत्र के भीतर किसी भी अन्य गैर-निजी अस्पताल (केंद्र सरकार, नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थानों या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संचालित अस्पतालों सहित) को शामिल किया गया है।तदनुसार प्रत्यर्थियों को दो महीने के भीतर अपीलार्थी और अन्य समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों को उचित महत्व देकर एक नई योग्यता सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।हालाँकि हम स्पष्ट करते हैं कि कार्य अनुभव के आधार पर वेटेज के अनुदान का उम्मीदवार की उपयुक्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ग

डी.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

च

जी.

एच.